वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5547 दिनांक-03.07.2019 एवं ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-337 दिनांक-03.10.2019 के आलोक में अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक-06.11.2019 की कार्यवाही:-

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5547 दिनांक-03.07.2019 के अनुसार यह निर्णय संसूचित किया गया है कि:— (i) वैसे कर्मी जो दिनांक—11.12.1990 को या उसके पूर्व कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुए हों तथा जिनकी सेवा संतोषप्रद रही हो और 10 वर्षों की लगातार कार्यभारित सेवा एक हीं पद पर पूर्ण किये हों, परंतु दिनांक-17.10.2013 के पहले सेवानिवृत्त / मृत हो गये हों, तो उनकी सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि से कार्यभारित सेवा को नियमित करते हुए प्रानी पेंशन योजना के अन्तर्गत सेवान्त लाभ अनुमान्य किया जा सकेगा।

(ii) ऐसे कर्मियों के पेंशन परिगणना हेत् वित्त विभागीय संकल्प संख्या—10710 दिनांक— 17.10.2013 के समतुल्य प्रत्येक पाँच वर्ष की कार्यभारित सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा की मान्यता देते हुए पेंशन एवं ग्रेच्यूटी लाभ की गणना की जायेगी। इसके बावजूद यदि पुरानी पेंशन के तहत् पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा 10 वर्ष पूर्ण नहीं हो तो

उस हद तक न्यूनतम सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

(iii) उपकडिका— (i) एवं (ii) के कार्यभारित कर्मियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना के

लिए अन्य शर्ते यथावत लागू रहेगी।

(iv) जिन कार्यभारित कर्मियों के विरूद्ध सेवाकाल में कोई मुकदमा दायर किया गया हो या जिनके विरूद्ध प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित भ्रष्टाचार के आरोप लंबित हो या जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो तथा सेवानिवृत्त हो गये हों, उन्हें पेंशन का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। परन्तु यदि सेवाकाल में चल रहे मुकदमें / विभागीय कार्यवाही के क्रम में मृत्यु हो जाती है तो उनके ऑश्रित को परिवारिक पेंशन एवं सेवान्त लाभ दिया जा सकेगा।

(v) कार्यभारित स्थापना में सेवाकाल के दौरान मृत कार्यभारित कर्मी के आश्रित को

अनुकम्पात्मक नियुक्ति का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) ऐसे सेवानिवृत / मृत कार्यभारित कर्मियों को ए०सी०पी० के प्रयोजनार्थ कार्यभारित सेवा अवधि की गणना नहीं की जायेगी। परन्तु दिनांक-01.01.2009 एवं दिनांक-17.10.2013 के बीच इस श्रेणी के सेवानिवृत्त / मृत कार्यभारित कर्मियों को एम०ए०सी०पी० के लाभ के प्रयोजनार्थ कार्यभारित सेवावधि की गणना की जा सकेगी।

2. उक्त के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-337 दिनांक-03.10.2019 द्वारा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की गई,

जिसमें निम्नॅलिखित पदाधिकारियों को शामिल किया गया है:-

1. अभियंता प्रमुख

2. अपर सचिव सदस्य

3. संबंधित मुख्य अभियंता -सदस्य

संयोजक सह-सदस्य सचिव 4. उप सचिव

3. समिति की दिनांक-06.11.2019 को आहूत बैठक में अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, मुख्य अभियंता—01 एवं 02, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा एवं कटिहार तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मुगेर के प्रतिनिधि के रूप में उक्त कार्यालय के निम्नवर्गीय लिपिक उपस्थित हुए।

4. सिमित के बैठक में कुल—13 कार्यभारित किमेंयों (परिशिष्ट—1 संलग्न) के मामलों पर विचार किया गया। सिमित के द्वारा पाया गया कि उक्त किमीयों के संबंध में किसी प्रकार के निर्णय हेतु उक्त किमीयों से संबंधित (1) सेवापुस्त (2) सेवानिवृति की तिथि से कार्यभारित सेवा को नियमित करने हेतु जांच पत्रक संलग्न विहित प्रपत्र—1 एवं 2 (3) सेवा काल में कोई मुकदमा दायर किया गया हो या उनके विरूद्ध प्रथम द्रष्टिंद्य प्रमाणित भ्रष्टाचार के आरोप लंबित हो या उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं चलने संबंधित प्रमाण पत्र (4) यदि कर्मी की मृत्यु हो गई है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख की आवश्यकता है, परन्तु सिमिति के द्वारा पाया गया कि अधिकांश मामलों में उक्त कागजात/अभिलेख क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा सरसमय विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस कारण प्रशाखा के द्वारा बैठक में उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। साथ ही साथ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा एवं किटहार के अतिरिक्त अन्य संबंधित कार्यपालक अभियंता बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिसे सिमिति के द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया।

5. समिति द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया है कि:-

संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि अपने कार्यालय से संबंधित कार्यभारित कर्मियों कि (i) सेवापुस्त की अभिप्रमाणित प्रति (ii) सेवानिवृति की तिथि से कार्यभारित सेवा को नियमित करने हेतु जांच पत्रक संलग्न विहित प्रपत्र—1 एवं 2 (iii) सेवा काल में कोई मुकदमा दायर किया गया हो या उनके विरुद्ध प्रथम द्रष्टव्य प्रमाणित भ्रष्टाचार के आरोप लिंक हो या उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं चलने संबंधित प्रमाण पत्र (iv) यदि कर्मी की मृत्यु हो गई है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख विभाग को दिनांक—18.11.2019 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त अभिलेख कागजात की मूल प्रति के साथ समिति अगली बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ संबंधित मुख्य अभियंताओं अधीक्षण अभियंताओं के निदेशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से इस मामले को अनुश्रवण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय की ससमय विभाग में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाय एवं संबंधित पदाधिकारी बैठक में निर्धारित तिथि को ससमय भाग ले।

समिति की अगली बैठक दिनांक-20.11.2019 को अपराह्न 2:00 बजे अभियंता प्रमुख के कार्यालय कक्ष में निर्धारित की जाती है।

(राजेन्द्र प्रसाद मोची) सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार (अपर सचिव के प्रतिनिधि के रूप में)

(मनोज कुमार)

संयोजक

) कुन्तर (अशोक मिश्रा) (

(कमलेश चौधरी) मुख्य अभियंता–03 (प्रवीण कुमार ठाकुर) अभियंता प्रमुख

मुख्य अभियंता—01 मुख्य अभियंता—0 सदस्य सदस्य विहार सरकार

अध्यक्ष अध्यक्ष

सह-सदस्य सचिव विहार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:—08/अ0प्र0—01—32/2018 मु ज्रिज् /पटना, दिनांक:—11.11.19 प्रतिलिपि:—अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/अपर सचिव के निजी सहायक/मुख्य अभियंता—1, 2, एवं 3/उप सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पढना/

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/सासाराम/गया/सहरसा/मुंगेर/पूर्णियाँ/किशनगंज/दरभंगा एवं सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा/मोहनियाँ/गया/खगड़ियाँ/मुंगेर/किटहार/अरिया/झंझारपुर एवं सीतामढ़ी/आई0टी0, मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार वो जप सचिव

## <u>परिशिष्ट-1</u> कार्यभारित कर्मियों की सूची

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	जन्म–तिथि	कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति की तिथि	प्रमंडल का नाम	प्रोजेक्ट का नाम जिसमें नियुक्त हुए	नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व0 बसंत कुमार	पथ बेलन खलासी	01.01.1962	01.07.1989	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा		अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सासाराम	दिनांक— 14 07 2008 के पूर्वाह्न में मृत्यु हो गई।
2	स्व0 कामेश्वर राम	पथ बेलन चालक	16.06.1962	04.08.1987	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा		अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सासाराम	दिनांक— 06.09.2008 के पूर्वाह्न में मृत्यु हो गई।
3	स्व0 रामाश्रय राम	कार्यभारित चौकीदार	12.09.1965	01 07.1989	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा		अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सासाराम	दिनांक— 24.10.2004 के पूर्वाह्न में मृत्यु हो गई।
4	श्री रामचन्द्र रजक	सर्वे खलासी	09.01.1958	14.12.1977	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनियाँ		कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनियाँ	वर्ष-1986 में दैनिक वेतनभोगी के रूप में सम्परिवर्तित
5	स्व० राम प्रसाद बहादुर		15.04.1962	18.08.1988	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया			दिनांक— 30.01.2010 को मृत्यु हो गई।
6	श्री लाला साव	पथ बेलन खलासी/ 15.09.1992 से पथ बेलन चालक के पद पर प्रोन्नति	12.09.1953	24.09.1986	ग्राम्य अभियंत्रण संगठन कार्य अवर प्रमंडल, खगड़िया।		अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, दरभंगा	
7	श्री कुलदीप रजक	गोदाम चौकीदार	01.01.1953	17.01.1984	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया		अधीक्षण अभियंता, याम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, दरमंगा के पत्रांक-41 दिनांक-05.01.1984 के आलोक कार्यपालक अभियंता, या०अभि०सं०, कार्य प्रमंडल, खगाडिया द्वारा नियुक्ति की गई	

8	श्री कमला प्रसाद	मिक्सर ऑपरेटर	23.07.1951	14.12.1987	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर	अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर	
9	स्व० नरेश ठाकुर	रौलर खलासी	21.01.1958	09.12.1987	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर	अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर	दिनांक— 16.10.2007 को मृत्यु हो गई।
10	श्री शोभाकान्त झा	चौकीदार		12.04.1980	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कटिहार	अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ	
11	श्री सीताराम साह	जीप चालक		01 10.1980	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरिया	कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ	
12	स्व० आश मोहम्मद	पथ बेलन चालक	05.01.1955	01.01.1980	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर	कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, झझारपुर	दिनांक 04.04.2011 को मृत्यु हो गई।
13	स्व0 पलटन मंडल	पथ बेलन चालक		04.12.1978	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी	कार्यपालक अभियंता, कृषी बाजार, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	दिनांक— 05.01.2012 को मृत्यु हो गई।

## <u>प्रपत्र-1</u> जाँच पत्र

. कार्यालय का नाम	_
2. कार्यभारित सेवक का नाम	_
3. पिता का नाम	_
4. जन्म तिथि	-
<ol> <li>सेवानिवृति की तिथि</li> </ol>	_
6. योगदान तिथि	_
7. मृत्यु की तिथि	-
8. पदनाम	_
9. प्रथम नियुक्ति से मृत्यु कार 10. नियुक्त करने वाले पदाधिव का पदनाम एवं कार्यालय	ल तक वेतनमान— ज्ञारी —
11. नियुक्ति पत्र की निर्गमन व संख्या एवं तिथि 12. सेवाकाल में किसी प्रकार है या नहीं 13. सेवाकाल में किसी भी तर कार्रवाई चलाया गया या	– का छुट हुई – ह का विभागीय
14. सेवाकाल या जीवनकाल प तरह का मुकदमा दायर हु	में किसी भी आ़ है या नहीं —
15. मृत्यु की तिथि (16.10.200 सेवा अवधि	o7) को कुल —

कार्यालयाधीक्षक का हस्ताक्षर

(11)

## प्रपत्र-2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	जन्म–तिथि	कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति की तिथि	प्रमंडल का नाम	प्रोजेक्ट का नाम जिसमें नियुक्त हुए	नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							:	
						•		
			!		<u> </u>	; ;		
							i	